वसुन्धरा राजे
मुख्य मंत्री
राजस्थान सरकार

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(वित्त आयोग एवं आर्थिक मामलात अनुभाग)

पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत की गयी वर्ष 2016–17 के लिए अंतरिम रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई (Action Taken) का ज्ञापन।

पंचम राज्य वित्त आयोग का गठन, राज्यपाल महोदय के आदेश दिनांक 29 मई, 2015 (वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30 मई, 2015 द्वारा अधिसूचित) द्वारा वर्ष 2015 से 2020 की, पाँच वर्ष की अवधि हेतु अपनी रिपोर्ट 30 नवम्बर, 2015 तक देने के निर्देश के साथ किया गया। आयोग द्वारा वर्ष 2015–16 के लिए अपनी अंतरिम रिपोर्ट दिनांक 15 सितम्बर, 2015 को महामहिम राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत की गयी थी, जिसे कार्रवाई के ज्ञापन के साथ विधान सभा के पटल पर दिनांक 22 सितम्बर, 2015 को रखा गया। आयोग को वर्ष 2016–17 के लिए भीअपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किया गया था। आयोग द्वारा वर्ष 2016–17 के लिए अपनी अंतरिम रिपोर्ट दिनांक 1 सितम्बर, 2016 को महामहित राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत की गयी है।

2. पंचम राज्य वित्त आयोग की यह अंतरिम रिपोर्ट वर्ष 2016–17 से संबंधित है तथा उसमें की गई सिफारिशों पर की गई कार्रवाई का ज्ञापन संविधान के अनुच्छेद 243 आई(4) तथा 243 वाई(2) के अनुसरण में सदन के पटल पर रखा जा रहा है।

3. राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2016–17 के लिए आयोग की अंतरिम रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों पर सावधानी पूर्वक विचार किया गया है, जिनका विवरण एवं राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का विवरण निम्नानुसार है :

क्र. सं.	आयोग की सिफारिशों का सार	राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का विवरण
1.	**राज्य के शुद्ध कर राजस्व में हिस्सा :** राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का 7.182 प्रतिशत हिस्सा पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों को अंतरित किया जाये। राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व के 7.182 प्रतिशत हिस्से का वितरण 2011 की जनगणना रिपोर्ट के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों के मध्य 75.1 एवं 24.9 प्रतिशत के अनुपात में किया जाये। आयोग द्वारा राज्य के वर्ष 2016–17के बजट अनुमानों के आधार पर की गई गणना के अनुसार वर्ष 2016–17 मे 3689. 66 करोड़ रुपये का अनुदान देय है। पंचायती राज संस्थाओं की हिस्सा राशि की 55 प्रतिशत राशि मूल भूत एवं विकास कार्यो के लिए, 40 प्रतिशत राशि राष्ट्रीय/राज्य प्राथमिकता की योजनाओं के लिए एवं 5 प्रतिशत राशि लेखो के संधारण, रिकार्ड एवं सम्पदा रजिस्टर संधारण, अतिरिक्त राजस्व वृद्धि के प्रयास एवं भामाशाह कार्ड हेतु सभी योग्य व्यक्तियों के नामांकन एवं वितरण हेतु प्रोत्साहन के रूप में वितरित की जायें। नगरीय स्थानीय निकायों की हिस्सा राशि की 75 प्रतिशत राशि मूल भूत एवं विकास कार्यो के लिए, 20 प्रतिशत राशि राष्ट्रीय/राज्य प्राथमिकता की योजनाओं के लिए एवं 5 प्रतिशत राशि लेखो के संधारण, रिकार्ड एवं सम्पदा रजिस्टर	राज्य सरकार द्वारा आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया है। अन्तरण राशि राज्य के स्वयं के वास्तविक शुद्ध कर राजस्व के आधार पर परिवर्तनीय होगी।

	संधारण, अतिरिक्त राजस्व वृद्धि के प्रयास एवं भामाशाह कार्ड हेतु सभी योग्य व्यक्तियों के नामांकन एवं वितरण हेतु प्रोत्साहन के रूप में वितरित की जायें।	
2.	**पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्धारित हिस्से का वितरण :** पंचायती राज संस्थाओं को राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व में से आवंटित की जाने वाली राशि के जिलेवार वितरण का आधार एवं विवरण अंतरिम रिपोर्ट के पैरा 44 एवं 45 में दिया गया है। प्रत्येक जिले के निर्धारित हिस्से में से जिला परिषद को 5 प्रतिशत, पंचायत समितियों को 20 प्रतिशत एवं ग्राम पंचायतों को 75 प्रतिशत भाग दिया जाये। इन संस्थाओं के मध्य वितरण 2011 की जनसंख्या के आधार पर किया जाये।	राज्य सरकार द्वारा आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया है।
3.	**नगरीय स्थानीय निकायों के लिए निर्धारित हिस्से का वितरण :** नगरीय स्थानीय निकायों को राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व में से आवंटित राशि में से 55 प्रतिशत राशि जनसंख्या एवं 15 प्रतिशत राशि क्षेत्रफल के आधार पर समस्त नगरीय स्थानीय निकायों (नगर निगम, नगर परिषद एवं नगरपालिकाओं) को एवं शेष 30 प्रतिशत राशि समस्त नगरपालिकाओं को उनकी जनसंख्या के आधार पर वितरित किये जाने की सिफारिश की गई है।	राज्य सरकार द्वारा आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया है।
4.	**चौदहवें केन्द्रीय वित्त आयोग का अनुदान :** स्थानीय निकायों के लिये चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्राप्त अनुदान का पारस्परिक वितरण आयोग द्वारा सिफारिश किये गये मापदण्डों एवं मानकों के आधार पर किया जाये।	चौदहवें वित्त आयोग के तहत वर्ष 2016–17 में भविष्य में प्राप्त होने वाली किश्तों के वितरण के सम्बन्ध मे आयोग के सुझाव को स्वीकार कर लिया गया है।

4. आयोग की अंतिम रिपोर्ट लागू होने तक वर्ष 2016–17 की अंतरिम रिपोर्ट में की गई सिफारिश मे की गई सिफारिश के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों को राशि अंतरित की जायेगी।

5. क्रियान्वितिः

(i) राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व से अंतरण के संबंध में आदेश पंचायती राज विभाग एवं स्थानीय निकाय विभाग द्वारा प्रसारित किये जायेंगे। पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों हेतु निर्धारित राशि **2** किश्तों में जारी की जायेगी।

(ii) आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत अंतरित राशि के उपयोग एवं वितरण के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश पंचायती राज विभाग एवं स्थानीय नगरीय विभागं द्वारा प्रसारित किये जायेंगे।

वसुन्धरा राजे

(वसुन्धरा राजे)
मुख्य मंत्री
मुख्यमंत्री
राजस्थान सरकार

दिनांक : 2 सितम्बर, 2016